ग्र0वि0- 07(नि0)- 01/2025-...4254729

बिहार सरकार
ग्रामीण विकास विभाग
संकल्प

दिनांक:- 25/06/2025

विषयः महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति की शक्ति के प्रत्यायोजन के संबंध में ।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 अंतर्गत वर्तमान में राज्य के सभी 38 जिलों में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनाओं (मनरेगा) का क्रियान्वयन किया जा रहा है। मनरेगा एक मांग आधारित रोजगार कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के प्रत्येक इच्छुक परिवारों के वयस्क सदस्यों को सम्मिलित रूप से एक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों के अकुशल श्रम की वैधानिक गारंटी देना तथा स्थायी, गुणवत्तापूर्ण एवं उपयोगी परिसम्पत्तियों का निर्माण करना है ।

2. ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार एवं विभागीय निर्गत दिशा–निर्देश के अधीन जिला, प्रखंड एवं पंचायत स्तर पर कार्यान्वित कराये जा रहे मनरेगा योजनाओं से संबंधित प्राक्कलन पर प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति प्रदान करने की शक्ति राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, बिहार के दिशा–निर्देश (सितम्बर 2006) की कंडिका–9.2 के प्रावधान एवं विभागीय पत्रांक–12686 दिनांक 15.11.2006 एवं पत्रांक–3044 दिनांक 13.03.2008 तथा संकल्प संख्या–9888 दिनांक 25.08. 2010 द्वारा संशोधित कर प्रत्यायोजित की गयी थी।

3. विगत वर्षों में मनरेगा योजनाओं की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई है तथा इस निमित्त योजनागत सामग्रियों एवं श्रम घटकों की दरों में उत्तरोत्तर पर्याप्त वृद्धि परिलक्षित हुई है। इस परिप्रेक्ष्य में मनरेगा योजनाओं के क्रियान्वयन में अद्यतन प्रत्यायोजित प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति की सीमा को संशोधित कर समुचित वृद्धि किये जाने की आवश्यकता है ताकि क्षेत्रीय स्तरों पर योजनाओं का ससमय क्रियान्वयन एवं सुसम्पादन सुनिश्चित हो सके ।

4. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत सामग्रियों एवं श्रम घटकों की दरों में उत्तरोत्तर पर्याप्त वृद्धि के आलोक में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनाओं की प्रशासनिक तथा तकनीकी स्वीकृति हेतु पूर्व से प्रदत सक्षमता में वृद्धि कर अब निम्नरूपेण क्षेत्रीय

पदाधिकारियों/बिहार रूरल डेवलपमेंट सोसाईटी के पदाधिकारियों/जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के पदाधिकारियों को उनके पदनाम के विरूद्व उल्लिखित राशि की सीमा के अधीन प्रशासनिक/तकनीकी स्वीकृति के प्रत्यायोजन हेतु राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक 24.06.2025 को मद संख्या–31 में स्वीकृति प्रदान की गई है –

प्रशासनिक / तकनीकी स्वीकृति की प्रत्यायोजित शक्ति

क्र0 सं0	पदाधिकारी का नाम	शक्ति का स्वरूप	वर्तमान राशि की सीमा	संशोधित राशि की सीमा
1.	प्रधान सचिव/सचिव	प्रशासनिक	तीस करोड़ रूपये से अधिक	यथावत
2.	प्रमंडलीय आयुक्त	प्रशासनिक	तीस करोड़ रूपये तक	यथावत
3.	जिला पदाधिकारी	प्रशासनिक	बीस करोड़ रूपये तक	यथावत
4.	उप विकास आयुक्त	प्रशासनिक	एक करोड़ रूपये तक	यथावत
5.	कार्यक्रम पदाधिकारी	प्रशासनिक	दस लाख रूपये तक	पन्द्रह लाख रूपये तक
6.	ग्राम पंचायत	प्रशासनिक	पॉच लाख रूपये तक	दस लाख रूपये तक
7.	मुख्य अभियंता	तकनीकी	असीमित	यथावत
8.	अधीक्षण अभियंता	तकनीकी	बीस करोड़ रूपये तक	यथावत
9.	कार्यपालक अभियंता	तकनीकी	एक करोड़ रूपये तक	यथावत
10.	सहायक अभियंता	तकनीकी	दस लाख रूपये तक	पन्द्रह लाख रूपये तक

ग्राम पंचायत स्तर पर योजनाओं की स्वीकृति के मामले में 05 (पॉच) लाख रूपये तक की योजनाओं के संबंध में ग्रमीण विकास विभाग के संकल्प संख्या 9888 दिनांक 05.08.2010 के अनुरूप पूर्व की भांति तकनीकी स्वीकृति हेतु पंचायत द्वारा किसी भी सरकारी सेवा में कार्यरत अथवा बिहार

रूरल डेवलपमेंट सोसाईटी/जिला ग्रामीण विकास अभिकरण में कार्यरत अथवा सेवानिवृत सरकारी कनीय अभियंता/सहायक अभियंता/कार्यपालक अभियंता की सेवा प्राप्त की जा सकती है । पॉच लाख से अधिक की योजनाओं के लिए ग्रामीण विकास विभाग द्वारा समय–समय पर निर्धारित सक्षम पदाधिकारी/प्राधिकार से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त की जायेगी ।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत चालू सभी योजनाओं की मापी के लिए सरकार अथवा बिहार रूरल डेवलपमेंट सोसाईटी/जिला ग्रामीण विकास अभिकरण अंतर्गत कार्यरत पंचायत तकनीकी सहायक, कनीय अभियंता, सहायक अभियंता, कार्यपालक अभियंता, अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता सक्षम होंगे, लेकिन योजनाओं की अंतिम मापी एवं अंतिम विपत्र उसी स्तर के कार्यरत तकनीकी पदाधिकारी द्वारा पारित किया जायेगा जो संबंधित योजना के तकनीकी स्वीकृति हेतु निर्धारित सक्षम पदाधिकारी/प्राधिकार के अन्यून हों ।

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय एवं इसकी प्रतिलिपि सरकार के सभी विभागों एवं महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ भेजी जाय।

बिहार के राज्यपाल के आदेश से

(मनोकेश कुमार सिंह)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक 4254729 पटना, दिनांक 25/06/2025
ग्रा0वि0-7(नि0)- 01/2025

प्रतिलिपि:- प्रभारी पदाधिकारी, गजट प्रकाशन कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को (सी0डी0 सहित) राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित ।
अनु0- सी0डी0 ।

सरकार के सचिव

ज्ञापांक 4254729 पटना, दिनांक 25/06/2025
ग्रा0वि0-7(नि0)- 01/2025

प्रतिलिपि:- महालेखाकर, बिहार, वीरचंद पटेल मार्ग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के सचिव

ज्ञापांक 4254729 पटना, दिनांक 25/06/2025

ग्रा0वि0-7(नि0)- 01/2025

प्रतिलिपि:- अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, सभी विभाग, बिहार /सभी प्रमंडलीय आयुक्त / सभी जिला पदाधिकारी, बिहार/सभी उप विकास आयुक्त, बिहार/आयुक्त मनरेगा-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, BRDS को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव

25/6/25

ज्ञापांक 4254729 पटना,दिनांक 25/06/2025

ग्रा0वि0-7(नि0)- 01/2025

प्रतिलिपि:- मुख्य सचिव / विकास आयुक्त के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव

25/6/25

ज्ञापांक 4254729 पटना,दिनांक 25/06/2025

ग्रा0वि0-7(नि0)- 01/2025

प्रतिलिपि:- संयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार को सूचनार्थ प्रेषित ।

सरकार के सचिव

25/6/25

ज्ञापांक 4254729 पटना,दिनांक 25/06/2025

ग्रा0वि0-7(नि0)- 01/2025

प्रतिलिपि:- मुख्य मंत्री, बिहार के प्रधान सचिव को सूचनार्थ प्रेषित ।

सरकार के सचिव

25/6/25

ज्ञापांक 4254729 पटना,दिनांक 25/06/2025

ग्रा0वि0-7(नि0)- 01/2025

प्रतिलिपि:- आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित ।

सरकार के सचिव

25/6/25